

इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर—तारामंडल, पटना  
आदेश

कोरोना वायरस संक्रमण मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु बिहार सरकार, गृह विभाग ज्ञापांक :- जी/आपदा - 06 - 02 / 2020 - 2633 दिनांक : - 09-04-2021 के अनुपालन में दिनांक- 10.04.2021 से प्रत्येक शो में कुल बैठने की व्यवस्था का 50 प्रतिशत अर्थात् 130 दर्शकों के लिये टिकट बुकिंग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सभागार में निर्धारित बैठने की क्षमता 224 के 50 प्रतिशत अर्थात् 112 आगन्तुकों के साथ बैठक आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. लॉबी एरिया में प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम अनिवार्य रूप से संध्या 07 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के साथ खुलेंगे।

- प्रदर्शनी स्थल पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- आयोजक द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर कार्यरत कर्मियों एवं आगन्तुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- प्रदर्शनी स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मानको ( 2 गज की दूरी ) का अनुपालन किया जाएगा जिसके लिए सफेद वृत्त चिह्नित किए जाएंगे।

सभागार/ लॉबी एरिया व्यवस्था एवं तारामंडल शो संचालन से जुड़े संबद्ध कर्मियों तथा सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु कार्यरत निकायों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

चेहरे पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया (S.O.P.) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना निदेशक

बी0सी0एस0टी0—तारामंडल,